विशेष वाद संख्या 39 सन 2019

CNR No. UPEW01000896-2019

28-08-2019

परिवादी के अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रमोद कुमार परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.01.2019 को करीब 7.00बजे शाम जब वह पूर्व परिचित पूर्व प्रधान राम कुमार गुप्ता,निवासी उदी की हृदय गति रूक जाने के कारण उनको उनके घर देखकर वापस अपने भाई व भतीजे के साथ इटावा आ रहा था तो उदी रेलवे स्टेशन को जाने वाले मोड़ से मुलिजमान मोटरसाइकिलों से पीछा करते हुए आये औरउसकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाकर रोका ,परिवादी के रूकने पर मॉ बहन की भददी भददी गालियॉ देते हुए कहा कि साले तेरे बाप ने उसके यहॉ से सन 2000 में 10 टिन सरसों का तेल लिया था,जिसका पैसा आज दिन तक उसने नहीं दिया।परिवादी के यह कहने पर कि उसके पिता ने उन लोगों से कभी कोई सरसों का तेल नही लिया और न ही कोई पैसा बकाया है,इस पर मुलिजमान कहने लगे कि यह ऐसे पैसे नहीं देगा,इसके पास आज जो भी है छीन लो।परिवादी की जेब में रखे पॉच हजार रूपये नकद व गले में पड़ी हुयी जंजीर सोने की व हाथ में पहनी हुयी सोने की अंगूठी लूट कर ले गये।उक्त घटना को उसके साथ गये पवन गुप्ता व अखिलेश गुप्ता आदि लोगेा ने देखा। थाना बढ़पुरा घटना की रिपोर्ट लिखाने गया,लेकिन उसकी रिपोर्ट हीं लिखी गयी तो दिनांक 26.5.2018 को एस.एस.पी.इटावा को प्रार्थनापत्र दिया उसके उपरान्त पंजीकृत डाक से दिनांक 30.5.18 को एस.एस.पी. इटावा को पंजीकृत डाक से प्रार्थनापत्र दिया।परिवाद की सुनवाई कर मुलिजमान को तलव कर दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

धारा 200 द.प्र.सं. के अर्न्तगत परिवादी परीक्षित हुआ तथा समर्थन में धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पवन कुमार गुप्ता व अखिलेश गुप्ता को परीक्षित कराया गया है। धारा 200दं.प्र.ंके अन्तर्गत परीक्षित परिवादी प्रमोद कुमार ने अपने कथन में अभियुक्त लक्ष्मी गुप्ता व उनके साथियों द्वारा पॉच हजार रूपये एक सोने की जंजीर व एक ॲगूठी की लूट की घटना कारित करने का कथन किया है और यही कथन धारा 202 के अन्तर्गत परीक्षित साक्षियों पवन कुमार गुप्ता व अखिलेश गुप्ता द्वारा किया गया है।इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्त लक्ष्मी गुप्ता के द्वारा घटना कारित किया जाना स्पष्ट होता है।फलतः अभियुक्त लक्ष्मी गुप्ता को धारा 392 भा.द.सं. के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किये जाने हेतु साक्ष्य है।

तदनुसार अभियुक्त लक्ष्मी गुप्ता को धारा 392 भा.दं.स. के अन्तर्गत विचारण हेतु दिनाक 25.09.2019 के लिये आहूत किया जाये।

विशेष न्यायाधीश,द.प्र.क्षे.अधि. इटावा।
28.08.2019

किन्तुकोई कार्यवाही नहीं की, न उसकी डाक्टरी करायी,पतिके साथ सरकारी अस्पताल जाकर डाक्टरी करायी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया,परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया।

धारा 200 द.प्र.सं. के अन्र्तगत परिवादिनी परीक्षित हुयी तथा समर्थन में धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सुमनदेवी व अर्पित उर्फ अंकित को परीक्षित कराया गया है।धारा 200दं.प्रं.के अन्तर्गत परीक्षित परिवादिनी नीलम त्रिपाठी ने अपने कथन में अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र ,राजेन्द्र व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के आने व घटना कारित करने का कथन किया है और यही कथन धारा 202 के अन्तर्गत परीक्षित साक्षियों द्वारा किया गया है।इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र ही के द्वारा घटना कारित किया जाना स्पष्ट होता है।फलतः अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र को धारा 392 भा.दं.सं. के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किये जाने हेतु साक्ष्य है।

तदनुसार अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र को धारा 392भा.दं.स. के अन्तर्गत विचारण हेतु दिनाक 24.09.2019 के लिये आहूत किया जाये।

विशेष न्यायाधीश,द.प्र.क्षे.अधि. इटावा।
19.08.2019

है पुत्र शुभम त्रिपाठी का विवाह राघवेन्द्र पुत्र रामभजन की पुत्री गुड़िया उर्फ नीलम के साथ दिनांक 19.04.2018 को हुआ था ,दिनांक 8.5.18 को किसी षडन्त्र के तहत उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी थी तथा तेरहवीं के बाद उसकी पुत्रवधू गुड़िया उर्फ नीलम को उसके मायके वाले दिनाक 25. 05.2018 को वापस मायके ले गये,उसी दिन शाम को 4.15–4.30 बजे जब परिवादिनी घर में अकेली थी तथा रिश्तेदार सुमन व योगेश व अंकित शर्मा,पुत्र के शोक में आये हुए थे,उसी समय पुत्रवधू के पिता राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र पुत्र रामभजन अपने दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिलों से उसके घर आय और घर मे घुसते ही गालीगलौज व मारपीट करने लगे,उसके पहने हुए ब्लाउज में रखी अलमारी की चाबी स्त्री लज्जा भंग करते हुए जबरिया छीन ली व तमंचा लगाकर,डरा धमका कर अलमारी में रखे प्रार्थिनी व उसकी जेठानी के रखे पुश्तैनी जेवरात वजनी 22–23 तोला सोने का कीमती 10–11 लाख रूपये व पुत्र के उपचार हेतु रखे दो लाख रूपये जबरिया लूट लिये,सुमन,योगेश व अंकित ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी डरा धमका कर भयभीत कर दिया  व प्रार्थिनी का जेवर व रूपया लूटकर गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, उसने 100 नम्बर पर सूचना दी,जिस पर मौके पर पुलिस आयी  व फोटोग्राफी की।थाना पर उसने घटना की सूचना दी किन्तुकोई कार्यवाही नहीं की, न उसकी डाक्टरी करायी,पतिके साथ सरकारी अस्पताल जाकर डाक्टरी करायी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया,परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया।

धारा 200 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परिवादिनी परीक्षित हुयी तथा समर्थन में धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सुमनदेवी व अर्पित उर्फ अंकित को परीक्षित कराया गया है।धारा 200दं.प्र.के अन्तर्गत परीक्षित परिवादिनी नीलम त्रिपाठी ने अपने कथन में अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र ,राजेन्द्र व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के आने व घटना कारित करने का कथन किया है और यही कथन धारा 202 के अन्तर्गत परीक्षित साक्षियों द्वारा किया गया है।इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र ही के द्वारा घटना कारित किया जाना स्पष्ट होता है।फलतः अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र को धारा 392 भा.दं.सं. के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किये जाने हेतु साक्ष्य है।

तदनुसार  अभियुक्तगण राघवेन्द्र,देवेन्द्र व राजेन्द्र को धारा 392भा.दं.स. के अन्तर्गत विचारण हेतु दिनाक 24.09.2019 के लिये आहूत किया जाये।

विशेष न्यायाधीश,द.प्र.क्षे.अधि. इटावा।
19.08.2019